

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2023

विषय:-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80, 89, 98 एवं 101 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित की धारा-80, 89, 98 एवं 101 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के त्वरित निस्तारण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

(1) धारा-80 औद्योगिक वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80 में गैर-कृषि भूमि की उद्घोषणा हेतु 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। और यदि उप जिलाधिकारी द्वारा यथा पूर्वान्तर 45 दिन के भीतर घोषणा नहीं की जाती है तो घोषणा की गयी समझे जाने का प्राविधान है।

तत्क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापति हेतु 30 दिन की समयसीमा निर्धारित की जाती है। यदि 30 दिन के भीतर आपति/अनापति प्राप्त नहीं होती है तो इसे डीम्ड टू नो आव्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) धारा-89 (विहित सीमा 5.0586 हे० (12.5 एकड़) से अधिक क्रय की अनुमति)-

शासनादेश संख्या-156/एक-1-2021-रा०-1, दिनांक 28-1-2021 द्वारा मण्डलायुक्त के स्तर से अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु अधिकतम 60 दिन की समय-सीमा पूर्व से ही निर्धारित है।

तत्क्रम में विहित सीमा से अधिक 20.2344हे० तक भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कलेक्टर के लिए 45 दिन तथा 40.4688 हे० से अधिक भूमि क्रय करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु शासन में जिलाधिकारी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व परिषद एवं सम्बन्धित विभाग की संस्तुति प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिकतम 30 दिन में पूर्ण करते हुए पत्रावली मा० राजस्व मंत्री जी को प्रस्तुत किये जाने की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

(3) धारा 98 (अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा)-

30प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के तहत अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम 45 दिन की समयसीमा निर्धारित की जाती है।

(4) धारा-101 (ग्राम सभा/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधाधीन भूमि के विनियम के संबंध में)-

ग्राम सभा/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधाधीन सामान्य श्रेणी की भूमि के विनियम के संबंध में उप जिलाधिकारी के स्तर से प्रदान की जाने वाली अनुज्ञा हेतु अधिकतम 45 दिन तथा आरक्षित श्रेणी की भूमि के लिए राज्य सरकार के सेवारत विभाग तथा भारत सरकार व राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभाग हेतु रु० 40 लाख तक की वस्तु के लिए कलेक्टर के स्तर से प्रदान की जाने वाली अनुज्ञा हेतु अधिकतम 60 दिन एवं भारत सरकार व राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभाग हेतु रु० 40 लाख से अधिक की वस्तु तथा प्राइवेट व्यक्तियों/निजी उद्योगों/संस्था/न्यास आदि के लिए मण्डलायुक्त के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्तर से प्रदान की जाने वाली अनुज्ञा हेतु अधिकतम 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने तथा उक्त कार्यों की निरन्तर समीक्षा करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उपरोक्त शासन।
- (2) सचिव एवं राहत आयुक्त, उपरोक्त शासन।
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष, उपरोक्त लखनऊ।
- (4) समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उपरोक्त।
- (5) निदेशक, सूचना विभाग, उपरोक्त लखनऊ।
- (6) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रत्न
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।